न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० /2000 रिव्यु

रामसिंह पुत्र श्री हरगोविन्द, निवासी
ग्राम उदन्नपुर, तहसील सबलगढ़
जिला मुरैना, म०प्र० -------- प्रार्थी

विरुद्ध

1- मध्यप्रदेश शासन
2- भागीरथ पुत्र राम रत्न
3- श्रीराम शर्मा पुत्र बद्री
4- प्रकाश । पुत्र रामचरण
5- रतनलाल पुत्र दुर्गा

सभी निवासीगण ग्राम उदन्नपुर
तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना म०प्र० ----प्रति प्रार्थीगण

:: रिव्यु विरूद्ध आदेश माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर (श्री विनय शुक्ला, सदस्य) दिनांक 14-1-2000 धारा 51 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 प्र०क्र० 249/96 निगरानी

श्रीमान्,

रिव्यु का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1- यहकि, इस माननीय न्यायालय की आज्ञा प्रत्यक्षदर्शी भूलों पर आधारित होने के कारण निरस्ती योग्य है ।

2- यहकि, बिना कारण बताओ नोटिस के शिकायती आवेदन-पत्र को नोटिस स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सकता है । यह आपत्ति इस माननीय न्यायालय में प्रार्थी की ओर से उठाई गई थी तथा उसका उल्लेख विवादित आदेश में किया गया है किन्तु सहवन इसके संबंध में अभिनिर्धारण 1977 रैवेन्यु निर्णय पेज-199, 1972 रैवेन्यु निर्णय पृष्ठ-438 एवं 581 तथा रैवेन्यु निर्णय 1973 पृष्ठ 146 जो प्रार्थी की ओर से बताये गये थे उनका न तो विवादित आदेश में कोई उल्लेख किया गया है और न इन पर विचार ही किया गया है । यह

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1173-तीन-2000पुनरावलोकन जिला मुरैना

तारीख	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.7.16	पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर को सुना जा चुका है। अनावेदक कमांक 3 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया। तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक आरएन/4-2/आर/249/96 में पारित आदेश दिनांक 14-1-2000 के विरूद्ध यह पुनरावलोकन आवेदन म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्कों पर मनन् करते हुये पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित आधारों के परिप्रेक्ष्य में तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक आरएन/4-2/आर/249/96 में पारित आदेश दि. 14-1-2000 को ध्यान से देखा गया। पुनरावलोकन आवेदन में जो आधार बताये गये हैं वह पूर्व से ही आदेश दिनांक 14-1-2000 में विवेचित किये गये हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्नानुसार आधार बताये गये हैं :- 1. किसी नई और महत्वपूर्ण विषय-वस्तु या साक्ष्य की खोज होने से, जो उचित परिश्रम करने के वाद भी उसकी जानकारी में नहीं थी या जो उस समय जब	

डिक्री पारित हुई या आदेश दिया गया, उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या

2. किसी ऐसी भ्रान्तिपूर्ण गलती (Mistake) या भूल (error) जो रिकार्ड के देखते ही प्रत्यक्ष दिखाई देती है , या

3. किसी अन्य पर्याप्त कारण से, यह निवेदन करता है कि डिक्री या आदेश जो उसके विरूद्ध दिया गया है उसका पुनर्विलोकन (Review) किया जाय तो वह उस न्यायालाय में जिसने ऐसी डिक्री या आदेश दिया है- आवेदन कर सकेगा ; और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश देगा, जो न्योयित समझे ।

विचाराधीन प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि उपरोक्त में ऐसा कौनसा अभिलेख छूट गया, जो उनके व्दारा तत्समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका अथवा आदेश दिनांक 14-1-2000 पारित करते समय ऐसी कौनसी भ्रॉतिपूर्ण गलती हुई है जिसके कारण आदेश दिनांक 14-1-2000 में फेर-बदल किया जावे । पुनरावलोकन आवेदन में अकित आधारों पर विचार करने से आदेश दिनांक 14-1-2000 में फेर-बदल की गुॅजायश नहीं है। अतएव पुनरावलोकन आवेदन सारहीन पाये जाने से निरस्त किया जाता है।

सदस्य